

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

सेवानिवृत्ति आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं को अधिवार्षिक की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृत्ति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-5 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क.सं	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवा निवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1	परशुराम शर्मा राउमावि रासीसर, बीकानेर	इतिहास	01.10.1956	30.09.2016
2	अब्दुल रऊफ राउमावि बहरांवण्डा खुर्द, सवाई माधोपुर	इतिहास	02.10.1956	31.10.2016
3	शकुन्तला राउमावि ग्राम नुआँ, झुंझुनू	इतिहास	10.09.1956	30.09.2016
4	शशीकला शर्मा राउमावि राजेन्द्र मार्ग भीलवाड़ा, भीलवाड़ा	इतिहास	15.08.1956	31.08.2016
5	मोहम्मद हनीफ खाँ राउमावि बेरीजतनपुरा, नागौर	इतिहास	17.08.1956	31.08.2016
6	भंवर लाल डिडेल राउमावि बड़ीखाटु, नागौर	इतिहास	25.01.1957	31.01.2017
7	गणेशा राम राउमावि रियाबडी, नागौर	इतिहास	01.07.1956	30.06.2016
8	माधुराम खालिया राउमाविह जड़ाऊ कलां, नागौर	इतिहास	15.06.1956	30.06.2016
9	शिवकरण चौधरी राउमावि जसनगर, नागौर	इतिहास	28.07.1956	31.07.2016
10	रसीद मोहम्मद राउमावि कुरेडी, सवाई माधोपुर	इतिहास	15.05.1956	31.05.2016
11	मुन्नी सोमरा राउमावि टोडपुरा, झुंझुनू	इतिहास	07.07.1956	31.07.2016
12	सत्तार मोहम्मद राउमावि देवली कलां, पाली	इतिहास	12.07.1956	31.07.2016

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-
- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएसएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

दिनांक:- 04-04-2016

क्रमांक - शिविरा-मा/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृत्ति/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) संयुक्त निदेशक पेंशने विभाग,
- (2) संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- (3) सम्बन्धित उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग
- (4) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
- (5) सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र -6 प्राप्त कर अंतिम अर्द्धय प्रमाण पत्र जारी करें।
- (6) संबंधित प्राध्यापक।
- (7) रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)